रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1560] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2015/श्रावण 2, 1937
No. 1560] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2015/SHRAVANA 2, 1937

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2015

सं.70/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.)

का.आ. 2037(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 4 की उपधारा (1) और धारा 5 की उपधारा (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, मैसर्स बुडकला इम्पेक्स (प्रा.) लि., सी-15/ए1, इंडस्ट्रीयल एस्टेट, आईडीए पतनचेरू, मेडक जिला, तेलगांना-502319 तथा अन्य को फा.सं. डीआरआई/एचजेडयू/वीआरयू/ईएनक्यू-6 (आईएनटी-एनआईएल)/2014, दिनांक 20 दिसम्बर, 2014 के तहत अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, जोनल इकाई हैदराबाद द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों में न्याय-निर्णयन के लिए-

(i) संयुक्त/अपर आयुक्त, सीमाशुल्क, इन्लैंड कंटेनर डिपो, हैदराबाद;

(ii) संयुक्त/अपर आयुक्त, सीमाशुल्क, कस्टम हाऊस, मुंद्रा;

(iii) संयुक्त/अपर आयुक्त, सीमाशुल्क, कांडला

को दी गई शक्तियों को प्रयोग करने और उनको सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए एतद्द्वारा संयुक्त / अपर आयुक्त, सीमाशुल्क इन्लैंड कंटेनर डिपो, हैदराबाद को उभय न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रुप में नियुक्त करता है।

[फा. सं. 437/10/2015- सीमाशुल्क IV]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2015

No. 70/ 2015-Customs (N.T.)

S.O. 2037(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 and sub-section (1) of Section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Joint/Additional Commissioner of Customs, Inland Container Depot, Hyderabad to act as a Common Adjudicating Authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on—

(i) the Joint/Additional Commissioner of Customs, Inland Container Depot, Hyderabad ;

(ii) the Joint/Additional Commissioner of Customs, Custom House, Mundra;

(iii) the Joint/Additional Commissioner of Customs, Kandla ,

for the purpose of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to M/s Woodkala Impex (P) Ltd, C-15/A1, Industrial Estate, IDA Patancheru, Medak Dist., Telanganga-502319 and others issued, *vide* F.No.DRI/HZU/VRU/ENQ-6(INT-NIL)/2014, dated the 20th December, 2014 by the Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence, Zonal Unit, Hyderabad.

[F. No. 437/10/2015-Cus IV]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.